



2026:AHC: 169290

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक पुनरीक्षण संख्या - 1952 वर्ष 2026

किशोर एक्स

.....पुनरीक्षणकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....विपक्षी(गण)

पुनरीक्षणकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: काशी नाथ सिंह यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, रमाशंकर यादव

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आज दाखिल किया गया पूरक शपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाता है।

पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

वर्तमान आपराधिक पुनरीक्षण, पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अपने पिता के माध्यम से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015 (जिसे इसके पश्चात "जे.जे. अधिनियम, 2015" कहा गया है) की धारा 102 के अंतर्गत दाखिल किया गया है, जिसमें वर्तमान पुनरीक्षण को स्वीकार करने और आपराधिक अपील संख्या 05/2026 में विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/बाल न्यायालय, गाजीपुर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 30.01.2026 के साथ-साथ किशोर न्याय बोर्ड, गाजीपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2025 को अपास्त करने की मांग की गई है। आगे यह प्रार्थना की गई है कि थाना कोतवाली, जिला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



गाजीपुर में बी.एन.एस. की धारा 65(2) और पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(1)/5(एम)/5(एन)/6 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 706/2025 में पुनरीक्षणकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाए।

यह प्रस्तुत किया गया है कि इस वाद में अपचारी की आयु लगभग 11 वर्ष थी और वह कृत्य की प्रकृति को समझने की स्थिति में नहीं था। एफ.आई.आर. के अनुसार, चार वर्षीय बच्ची के साथ उंगली डालने और दुष्कर्म करने का आरोप है। आगे प्रस्तुत किया गया कि मेडिको-लीगल रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी या भीतरी चोट नहीं पाई गई। पैथोलॉजिकल रिपोर्ट में भी सब कुछ सामान्य और नकारात्मक था। आगे तर्क प्रस्तुत किया गया कि यह दर्शाने के लिए अभिलेख पर कोई अन्य सामग्री नहीं है कि एफ.आई.आर. में कथित दुष्कर्म का अपराध पुनरीक्षणकर्ता द्वारा पीड़िता के साथ किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अंतर्विष्ट प्रावधानों पर किशोर न्याय बोर्ड द्वारा विचार नहीं किया गया था, यहां तक कि परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर भी विचार नहीं किया गया। अपीलीय न्यायालय ने भी इन सभी तथ्यों पर विचार नहीं किया है बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अंतर्विष्ट विधि पर विचार किए बिना जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपचारी के अन्य अपराधियों की संगति में शामिल होने की संभावना की आशंका का उल्लेख विद्वान किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश में किया गया है और अपीलीय न्यायालय द्वारा इसकी पुष्टि की गई है, यद्यपि परिवीक्षा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में ऐसी कोई संभावना व्यक्त नहीं की है जो अभिलेख पर है। अपचारी 12.09.2025 से किशोर संप्रेक्षण गृह में है और उसकी मानसिकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए, जे.जे. बोर्ड और साथ ही अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त करने और आपराधिक पुनरीक्षण को स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता और साथ ही विद्वान ए.जी.ए. ने पूर्वोक्त प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन वे इस तथ्य का विवाद नहीं कर सके कि चिकित्सा रिपोर्ट में ऐसी कोई बाहरी या भीतरी चोट नहीं पाई गई जो यह सुझाव दे कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया गया था।

वाद के तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख के परिशीलन, एफ.आई.आर. की विषयवस्तु, चिकित्सा रिपोर्ट, अपचारी की आयु 11 वर्ष

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



होने, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत अंतर्विष्ट प्रावधानों, परिवीक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि किशोर न्याय बोर्ड और साथ ही अपीलीय न्यायालय ने प्रासंगिक प्रावधानों और अभिलेख पर मौजूद सामग्री पर उचित तरीके से विचार नहीं किया था, बल्कि अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग किए बिना आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार, इस पुनरीक्षण में आधार प्रतीत होता है और किशोर न्याय बोर्ड के साथ-साथ विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपास्त किए जाने योग्य हैं।

तदनुसार, किशोर न्याय बोर्ड द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2025 और अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.01.2026 को एतद्वारा **अपास्त** किया जाता है और वर्तमान अपराधिक पुनरीक्षण एतद्वारा **स्वीकार** किया जाता है।

यह निर्देश दिया जाता है कि अपचारी/आवेदक को पुनरीक्षणकर्ता (अपचारी के पिता) द्वारा व्यक्तिगत बंधपत्र और संबंधित किशोर न्याय बोर्ड की संतुष्टि के लिए समान राशि के दो प्रतिभू निष्पादित करने पर निम्नलिखित शर्तों पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) पुनरीक्षणकर्ता/पिता एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि जमानत पर रिहा होने पर पुनरीक्षणकर्ता को किसी भी ज्ञात अपराधी के संपर्क या संगति में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी या किसी भी नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और आगे यह कि पिता यह सुनिश्चित करेगा कि किशोर अपराध को नहीं दोहराएगा।

(ii) पुनरीक्षणकर्ता/पिता आगे इस आशय का एक वचनबंध प्रस्तुत करेगा कि किशोर उचित स्तर पर अपना अध्ययन जारी रखेगा, जिसे उसे अन्य रचनात्मक गतिविधियों के अलावा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उसे अपना समय अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों में बर्बाद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iii) किशोर और पुनरीक्षणकर्ता/पिता प्रत्येक कैलेंडर माह के प्रथम सोमवार को परिवीक्षा अधिकारी को रिपोर्ट करेंगे।

(iv) परिवीक्षा अधिकारी किशोर की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखेगा और नियमित रूप से उसकी सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसे संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को ऐसे आवधिक आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा जो किशोर न्याय बोर्ड निर्धारित करे।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12 अगस्त, 2026

अशोक गुप्ता

(न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”